

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)
पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)



प्रकरण संख्या 105/2015

बउनवान

रमा देवी पुत्री जानकीलाल पत्नि बृजमोहन उम्र 60 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी कवाई हाल निवासी रेतवाली कोटा जिला कोटा (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

- 1- श्याम स्वरूप दत्तक पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी खानपुर रोड कवाई जिला बारां
- 2- पुरुषोत्तम पुत्र जानकीलाल जाति ब्राह्मण निवासी खानपुर रोड कवाई जिला बारां
- 3- ओमस्वरूप पुत्र जानकीलाल जाति ब्राह्मण निवासी खानपुर रोड कवाई जिला बारां
- 4- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार अटरू जिला बारां

(रेस्पोजेन्ट)

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 802 दिनांक 17.6.1989 केप्प कुण्डी तहसील अटरू

अन्तर्गत धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति 1- श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक

(अपीलांट)

2- श्री मदन गोपाल केवडा अभिभाषक (रेस्पोजेन्ट कम 1 ता 3)


3- पेरकार सरकार

(रेस्पोजेन्ट कम 4)

निर्णय दिनांक 21.9.2016

अपील अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा तस्दीकी नामान्तरकरण संख्या 802 दिनांक 17.6.1989 वाके माल ग्राम कुण्डी तहसील अटरू से अप्रसन्न होकर, अपील नामान्तरकरण अन्तर्गत धारा, 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर कथन किया है कि वाके माल कुण्डी के हाल खसरा नम्बर 1230 क्षेत्रफल 0.02 है0 खसरा नम्बर 1231 क्षेत्रफल 5.09 है0 कुल 2 किता क्षेत्रफल 5.11 है0 आराजी के साबिक खसरा नम्बर 810 क्षेत्रफल 31 बीघा 9 बिस्वा सन् 1989 में मूलचन्द, जानकीलाल पुत्रगण रामसुख जाति ब्राह्मण साकिन हाथी दिलोद के नाम समभाग संयुक्त खाते दर्ज थी।

यह कि अपीलांट एवं रेस्पोजेन्ट कम 01 ता 03 के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :-



श्यामस्वरूप ताऊ मूलचन्द जी के दत्तक चला गया और श्यामस्वरूप ने अपने दत्तक पिता मूलचन्द की विरासत में उनकी जमीन एवं जायदादें प्राप्त की। यह कि अपीलांट एवं रेस्पोंडेन्ट क्रम 01 ता 03 के पिता जानकीलाल की निर्वसीयती मृत्यु हुई। रेस्पोंडेन्ट क्रम 01 ता 03 ने क्रम 04 से मिलीभगत कर मृतक जानकीलाल के फौती नामान्तरकरण में अपीलांट द्वारा अपना हिस्सा नहीं लेने का मिथ्या एवं निराधार कथन कर फौती नामान्तरकरण संख्या 802 में अपीलांट का नाम दाखिल खारिजा करवाकर मृतक जानकीलाल के हक हिस्से की आराजियात पर अपने नाम फौती नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया, जबकि श्यामस्वरूप का मृतक जानकीलाल जी की सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का हक हिस्सा नहीं था, क्योंकि श्यामस्वरूप मूलचन्द जी के गोद चला गया था। इस कारण नामान्तरकरण संख्या 802 दिनांक 17.6.1989 निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि अपीलांट ने वाके माल ग्राम कुण्डी एवं वाके माल ग्राम हाथीदिलोद में स्थित अपने पिता मृतक जानकीलाल की आराजियात में अपने हक हिस्से की आराजियात का कभी भी किसी भी व्यक्ति के पक्ष में हकत्याग नहीं किया। रेस्पोंडेन्टगण ने अपीलांट की आराजियात को हड़पने की नियत से योजनाबद्ध षडयन्त्र रचकर अपीलांट द्वारा अपना हक हिस्सा नहीं लेने का मिथ्या कथन कर अपीलांट का नाम मृतक जानकीलाल के फौती नामान्तरकरण संख्या 802 में दर्ज न कर छल एवं कपट पूर्वक फौती नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया। इस कारण उक्त नामान्तरकरण अवैध शुन्य है।

यह कि रेस्पोंडेन्टगण ने फर्जीवाडा एवं जालसाजी से मिथ्या कथन कर अपीलांट का नाम मृतक जानकीलाल के फौती नामान्तरकरण से निरस्त करवा दिया जिससे अपीलांट के विरासतन उत्तराधिकारी अधिकारों का हनन हुआ है। यह कि मृतक पिता जानकीलाल जी के हक हिस्से एवं खाते की आराजियात में अपीलांट का रेस्पोंडेन्ट के समान हक एवं हिस्सा है। जिसे अपीलांट नामान्तरकरण संख्या 802 को निरस्त करवाकर पुनः अपने नाम सहित नामान्तरकरण को तस्दीक करवाने के अधिकारिणी है।

यह कि इस वर्ष अत्यधिक ओलावृष्टि में नष्ट हुई फसलों की मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु अपीलांट हल्का पटवारी के पास दिनांक 5.5.2015 को नकल जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने गई, तब हल्का पटवारी ने बताया कि तुम्हारे नाम खाते में ग्राम कुण्डी में कोई जमीन नहीं है। इस पर अपीलांट ने राजस्व रिकॉर्डों की नकले प्राप्त करने पर जानकारी हुई जानकारी उपरांत अपीलांट ने नामान्तरकरण संख्या 802 की नकल प्राप्त कर यह अपील पेश की जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश कर, अपील अपीलांट स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 802 दिनांक 17.6.1989 ग्राम कुण्डी तहसील अटरू निरस्त फरमाकर मृतक जानकीलाल के विधिक वारिसान के नाम पुनः नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दिनांक 1.6.2015 को दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोंडेन्ट क्रम 1 ता 4 को जर्ने सम्मन तलब किया गया। रेस्पों. क्रम 1 ता 3 जर्ने अभिभाषक उपस्थित रहे हैं एवं रेस्पों. क्रम 4 पेटोकार सरकार उपस्थित रहे हैं। पत्रावली में सर्व प्रथम लिमिटेसन के बिन्दु पर बहस उभयपक्ष सुनी जाकर विस्तृत बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील के तथ्यों को दोहराया व कहा कि इस वर्ष अत्यधिक ओलावृष्टि में नष्ट हुई फसलों की मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु अपीलांट हल्का पटवारी के पास दिनांक 5.5.2015 को नकल जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने गई, तब हल्का पटवारी ने बताया कि तुम्हारे नाम खाते में ग्राम कुण्डी में कोई जमीन नहीं है। इस पर अपीलांट ने राजस्व रिकॉर्डों की नकले प्राप्त करने पर जानकारी हुई जानकारी उपरांत अपीलांट ने नामान्तरकरण संख्या 802 की नकल प्राप्त कर यह अपील पेश की। श्यामस्वरूप ताऊ मूलचन्द जी के दत्तक चला गया और श्यामस्वरूप ने अपने दत्तक पिता मूलचन्द की विरासत में उनकी जमीन एवं जायदादें प्राप्त की। यह कि अपीलांट एवं रेस्पोंडेन्ट क्रम 01 ता 03 के पिता जानकीलाल की निर्वसीयती मृत्यु हुई। रेस्पोंडेन्ट क्रम 01 ता 03 ने क्रम 04 से मिलीभगत कर मृतक जानकीलाल के फौती नामान्तरकरण संख्या 802 दिनांक 17.6.1989 में अपीलांट द्वारा अपना हिस्सा नहीं लेने का मिथ्या एवं निराधार कथन कर फौती नामान्तरकरण संख्या 802 में अपीलांट का नाम दाखिल खारिज करवाकर मृतक जानकीलाल के हक हिस्से की आराजियात पर अपने नाम फौती नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया, जबकि श्यामस्वरूप का मृतक जानकीलाल जी की सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का हक हिस्सा नहीं था, क्योंकि श्यामस्वरूप मूलचन्द जी के गोद चला गया था। जबकि उक्त नामान्तरकरण में हम दोनों बहिने रमाबाई व सावित्री का नाम भी आना चाहिये था। इस कारण नामान्तरकरण संख्या 802 दिनांक 17.6.1989 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट की जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश कर, अपील अपीलांट स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 802 दिनांक 17.6.1989 ग्राम कुण्डी तहसील अटरू निरस्त फरमाकर मृतक जानकीलाल के विधिक वारिसान के नाम पुनः नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरित रेस्पोंडेन्ट क्रम 1 ता 3 के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस कहा कि अपीलांट का यह कथन गलत है कि उसे उक्त नामान्तरकरण संख्या 802 दिनांक 17.6.1989 के खोले जाने की जानकारी दिनांक 5.5.2015 को हल्का पटवारी से हुई है। जबकि अपीलांट को दिनांक 17.6.1989 से ही उक्त नामान्तरकरण के खोले जाने की जानकारी थी और उक्त नामान्तरकरण कम्प कुण्डी में मजले आम में खोला गया है और दोनों बहिने रमा देवी एवं सावित्री ने उक्त कम्प में ही बयान दिये गये हैं कि अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बयान संलग्न है। यदि रेस्पों. क्रम 1 ता 3 द्वारा रेस्पों. क्रम 4 से मिली भगत कर उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करवाया गया है, तो अपीलांट को हमारे विरुद्ध 420 का मुकदमा दर्ज करवाना चाहिये था। जबकि श्यामस्वरूप मूलचन्द जी के गोद भी नहीं गया है और सावित्री को उक्त अपील में पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। लिमिटेसन हेतु भी एक-एक दिन का हिसाब दिया जाना चाहिये, जो अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इस पर अपीलांत के अभिभाषक द्वारा नकल जमाबन्दी ग्राम कुण्डी तहसील अटरू खाता संख्या नयी 571 पुरानी 560 सम्वत् 2067-70 का अवलोकन करवाया गया, जिसमे श्यामलाल दत्तक पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण सा. दीलोदहाथी दर्ज है।

हमने बहस उभयपक्ष अभिभाषकारान की बहस सुनी तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया। अपीलान्त द्वारा अपील नामान्तरकरण संख्या 802 दिनांक 17.6.1989 वाके माल ग्राम कुण्डी तहसील अटरू के विरुद्ध 27 वर्ष बाद दिनांक 25.5.2015 को काफी विलम्ब से पेश की गई है। इसमे अपीलार्थी की लापरवाही ही दृष्टिगोचर होती है। लापरवाह पक्षकार के प्रति नरमी का रूख नहीं अपनाया जा सकता। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के प्रत्येक दिन का युक्तियुक्त एवं समुचित कारण बताया जाना आवश्यक है।

न्यायिक दृष्टान्तों WLC 2012 (1) पेज 759, WLC 2012 (4) पेज 163, WLC (राज) U.C. 2000 पेज 638 तथा RLW 1978 पेज 151 में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार अपीलार्थी अपनी अपील के प्रति सजग नहीं रहा है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का कोई समुचित कारण नहीं बता पाया है। जिससे अपील प्रस्तुत करने में हुई 27 वर्ष की देरी को माफ नहीं किया जा सकता है एवं धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने से हम यह अपील खारिज करना उचित समझते हैं। अतः यह धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तदनुसार यह अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.9.2016 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अति० जिला कलक्टर, बारां